

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-०३/निदे० (छात्रावास संघा०)-६६-१२/२०१८(खण्ड-१)- १३३

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,

बिहार (खगड़िया, शिवहर, लखीसराय एवं वैशाली जिला को छोड़कर)।

पटना, दिनांक- २५/०८/२०२६

विषय:- वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-११४३ दिनांक-१०.०५.२०१८ के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में वर्तमान में नामांकित एवं आवासित छात्रबल के आलोक में छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) आपूर्ति योजना के तहत मह जुलाई, २०२६ से सितम्बर, २०२६ तक कुल ३ माह के लिए खाद्यान्न का उपावंटन।

प्रसंग:- विशेष सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार का पत्रांक-५२१३ दिनांक-२१.०८.२०२६

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य स्कीम के अंतर्गत संकल्प संख्या-११४३ दिनांक-१०.०५.२०१८ द्वारा राज्य के अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति करने की स्वीकृति दी गई है।

२-खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कल्याण संस्थाओं एवं छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को अनुदानित (Subsidised) दर पर खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र/छात्रों को प्रति माह १५ किलोग्राम की दर से खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) उपलब्ध कराया जा रहा है।

३-इसी क्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-५२१३ दिनांक-२१.०८.२०२६ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का आवंटन उपलब्ध कराया गया है तथा जिलावार आवंटन निर्गत करते हुए जिला स्तरीय पदाधिकारियों को छात्रावासवार उपावंटन निर्गत करते हुए जिला प्रबंधको को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

४-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-५२१३ दिनांक-२१.०८.२०२६ के आलोक में संलग्न विवरणी-१ के अनुरूप खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) उपावंटित किया जाता है। आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न का भंडार पंजी में इन्द्राज किया जाएगा।

905

5-संबंधित छात्रावास अधीक्षक के पहचान पर योग्य लाभुकों के बीच खाद्यान्न आवंटित किया जायेगा।

6-किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाएगा तथा आवंटित खाद्यान्न का वितरण माह जूलाई, 2026 से सितम्बर, 2026 तक ही किया जाएगा।

7-जिला कल्याण पदाधिकारी संबंधित छात्रावास अधीक्षक से वितरित किए गए खाद्यान्न की मात्रा की सूचना प्राप्त कर त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

निदेशक

ज्ञापांक-03/निदे0 (छात्रावास)विविध-66-12/2018(खंड-I)-133 दिनांक-25/08/2026
प्रतिलिपि-(1)महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, बिहार/सचिव, वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव/विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) महाप्रबंधक, जन वितरण, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) (i) सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव/उप निदेशक (मु०)/सभी सहायक निदेशक (मु०)/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(iii) आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक-03/निदे0 (छात्रावास)विविध-66-12/2018(खंड-I)-133 दिनांक-25/08/2026
प्रतिलिपि:-सभी संबंधित छात्रावास अधीक्षक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासित छात्रबल के विरुद्ध खाद्यान्न की डोर स्टेप दिल्लीवरी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में माह जुलाई, 2026 से सितम्बर 2026 तक (प्रति माह) 3 माह का उपलब्ध खाद्यान्न का उपावंटन।

क्र०सं०	जिला का नाम	छात्रावास	स्वीकृत छात्र/छात्राओ की संख्या	आवासित छात्र/छात्राओ की संख्या	खाद्यान्न का आवंटन (प्रति माह) किलो ग्राम में		कुल मात्रा (किलो ग्राम में) (प्रति माह)
					चावल	गेहूँ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Araria	4	225	225	2025.00	1350.00	3375.00
2	Arwal	1	25	25	225.00	150.00	375.00
3	Aurangabad	1	50	50	450.00	300.00	750.00
4	Banka	5	300	230	2070.00	1380.00	3450.00
5	Begusarai	1	50	50	450.00	300.00	750.00
6	Paschim Champaran, Betiah	9	617	617	5553.00	3702.00	9255.00
7	Bhagalpur	7	550	520	4680.00	3120.00	7800.00
8	Bhojpur, Arah	6	475	475	4275.00	2850.00	7125.00
9	Buxar	2	250	250	2250.00	1500.00	3750.00
10	Darbhanga	6	575	530	4770.00	3180.00	7950.00
11	Gaya	4	300	282	2538.00	1692.00	4230.00
12	Gopalganj	2	75	75	675.00	450.00	1125.00
13	Jamui	5	300	260	2340.00	1560.00	3900.00
14	Jehanabad	2	300	300	2700.00	1800.00	4500.00
15	Kaimur	6	400	400	3600.00	2400.00	6000.00
16	Katihar	2	125	118	1062.00	708.00	1770.00
17	Kishanganj	2	200	140	1260.00	840.00	2100.00
18	Madhepura	3	175	175	1575.00	1050.00	2625.00
19	Madhubani	1	50	50	450.00	300.00	750.00
20	Purbi Champaran, Motihari	2	100	100	900.00	600.00	1500.00
21	Munger	2	100	100	900.00	600.00	1500.00
22	Muzaffarpur	6	500	500	4500.00	3000.00	7500.00
23	Nalanda	3	350	345	3105.00	2070.00	5175.00
24	Nawada	5	475	435	3915.00	2610.00	6525.00
25	Patna	7	900	831	7479.00	4986.00	12465.00
26	Purnia	8	500	380	3420.00	2280.00	5700.00
27	Rohtas	8	400	350	3150.00	2100.00	5250.00
28	Saharsa	1	75	75	675.00	450.00	1125.00
29	Samastipur	14	1265	1055	9495.00	6330.00	15825.00
30	Saran	1	150	150	1350.00	900.00	2250.00
31	Sheikhpura	1	25	25	225.00	150.00	375.00
32	Sitamarhi	7	525	505	4545.00	3030.00	7575.00
33	Siwan	6	300	274	2466.00	1644.00	4110.00
34	Supaul	3	225	225	2025.00	1350.00	3375.00
कुल:-		143	10932	10122	91098	60732	151830